



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 279/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 08 दिसम्बर, 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञापित दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत (Sanskrit) विषय के कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका कॉलम-03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	503419	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके क्रम में हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत होने पर ही मान्य है। 2. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत होने संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता के बोनस अंक का अधिमान अनुमन्य नहीं है।
2.	503446	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3.	503533	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4.	503604	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5.	503809	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6.	503833	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
7.	503838	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत NCC 'B' Certificate, वाद-विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तदक्रम में अधिमान अर्हता का दावा अनुमन्य नहीं है।

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके लिए प्रस्तुत राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार के प्रमाण-पत्र में 03 सत्रों 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का दावा किया गया है, जिसमें अंतिम कार्यदिवस की तिथि 26.03.2021 है, तथा प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि 14.01.2022 है। इस प्रकार अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत नहीं है, तदक्रम में अधिमान के लिए बोनस अंक अनुमन्य नहीं है।
8.	503841	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तदक्रम में अधिमान अनुमन्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके लिए राजकीय महाविद्यालय जैती अल्मोड़ा के प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र में 03 सत्रों का दावा किया गया है जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 01.06.2019 तक कार्य किया गया है। अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत नहीं है, तदक्रम में अधिमान के लिए बोनस अंक अनुमन्य नहीं है, तदक्रम में अधिमान के लिए बोनस अंक अनुमन्य नहीं है।
9.	503916	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमान अनुमन्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके लिए श्री केदारनाथ सनातनम धर्म स्नातकोत्तर उपाधि संस्कृत महाविद्यालय श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ रुद्रप्रयाग का प्रस्तुत किया गया है जबकि बोनस अंक हेतु उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत होना का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तदक्रम में अधिमान के लिए बोनस अनुमन्य नहीं है।
10.	503945	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमान अनुमन्य नहीं है।
11.	503977	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके लिए राजकीय महाविद्यालय काण्डा बागेश्वर एवं राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के प्रमाण पत्रों में सत्र 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 कुल 05 सत्रों का दावा किया गया है, परन्तु सत्र 2021-22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण उक्त सत्र का दावा मान्य नहीं है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के लिए 04 सत्रों के बोनस अंक का दावा अनुमन्य है। सत्र 2021-22 के लिए अधिमान बोनस अंक का दावा अनुमन्य नहीं है।
12.	504103	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके लिए राजकीय महाविद्यालय जखोली एवं रा0 स्ना0 महाविद्यालय डाकपत्थर के प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों में 05 सत्रों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 का दावा किया गया है जिनमें से सत्र 2021-22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण कुल 04 सत्रों का दावा मान्य है। सत्र 2021-22 के लिए अधिमान बोनस अंक का दावा अनुमन्य नहीं है।

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
13.	504105	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत एन0सी0सी0 बी एवं वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
14.	504148	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके लिए राजकीय महाविद्यालय काण्डा बागेश्वर एवं राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी के प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों में 05 सत्रों का दावा किया गया है। जिनमें से सत्र 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 पूर्ण सत्र हैं, अतः 04 सत्रों का दावा मान्य है तथा सत्र 2021-22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण मान्य नहीं है। तदक्रम में कुल 04 सत्रों हेतु बोनस अंक का दावा मान्य है। सत्र 2021-22 के लिए अधिमान बोनस अंक का दावा अनुमन्य नहीं है।
15.	504186	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
16.	504188	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
17.	504248	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
18.	504298	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
19.	504311	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
20.	504540	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र कोई प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के सांय 06:00 बजे (शुक्रवार) तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।